"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021—भाद्रपद 26, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-4/2021/30/सं..—राज्य शासन, प्रदेश के सभी कलाकार दलों के पंजीयन एवं राज्य के सांस्कृतिक आयोजनों में उन्हें समान अवसर देने तथा निर्धारित मानदेय भुगतान हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.—**

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन एवं भुगतान नियम, 2021" कहलायेंगे.

(2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावी होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
(2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
(3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
(4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय संस्कृति.
(5) "आयुक्त/संचालक" से अभिप्रेत है आयुक्त/संचालक, संस्कृति.
(6) "समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति.
(7) "अनुभव" से अभिप्रेत है विभाग अंतर्गत कार्यक्रम का अनुभव.
(8) "विधा" से अभिप्रेत है विभाग के चिन्हारी पोर्टल में उल्लेखित विधाएं.

3. **उद्देश्य.—**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों का पंजीयन एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु श्रेणी निर्धारण, प्रोत्साहन एवं समान अवसर प्रदान करना.

(2) कलाकार/कलाकार दलों के श्रेणी/मानदेय निर्धारण एवं समान अवसर प्रदाय करने की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाया जाना.

(3) सांस्कृतिक पंचांग के अनुरूप सांस्कृतिक आयोजन हेतु अवसर प्रदान करना.

4. **पंजीयन की प्रक्रिया.—**

(1) व्यक्तिगत पंजीयन हेतु चिन्हारी पोर्टल ण्वहबनसजनतमण्पदध्बीपदींतपचवतजंस में ऑनलाईन पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, पंजीयन अनिवार्य होगा.

(2) मंडली/समूह/संस्था को फर्म एवं सोसायटी में पंजीयन एवं चालू वर्ष का जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा.

(3) पोर्टल में पंजीकृत कलाकारों के परीक्षण/पुष्टि उपरांत विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा.

5. **पात्रता.—**

(1) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो.

(2) छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा पर आधारित विधा में सक्रिय हो.

(3) संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत हो.

(4) राज्य की ऐसी समस्त कला एवं सांस्कृतिक अशासकीय संस्थाएं जो सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44, सन् 1973) के अधीन पंजीकृत हैं तथा कम से कम तीन वर्षों से कला एवं संस्कृति के विकास, संवर्धन में सक्रिय हैं.

(5) तीन वर्षों से कम कला दल/कलाकार जो गांवों/कस्बों/ग्रामीण इलाकों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शनों से लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं एवं नवोदित कलाकार जो लोक कला के संरक्षण, संवर्धन में योगदान दे रहे हैं.

(6) कंडिका 7 में उल्लेखित श्रेणी के अंतर्गत हो.

6. **चयन समिति.**— कला दलों/कलाकारों के पंजीयन हेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण/पुष्टि एवं चयन हेतु विभागीय चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे :—

क्र.	विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य	संख्या
1.	संचालनालय के आयुक्त/संचालक (अध्यक्ष)	01 – शासकीय अध्यक्ष
2.	संचालनालय के संयुक्त संचालक एवं उप संचालक, संस्कृति	02 – शासकीय सदस्य
3.	खैरागढ़ के कुलपति, मनोनित.	01 – अशासकीय सदस्य
	कमलादेवी संगीत महाविद्यालय या श्रीराम संगीत महाविद्यालय	01 – अशासकीय सदस्य
	दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के 1 ग्रेड के सदस्य/कलाकार	02 – अशासकीय सदस्य

समिति की बैठक 03 माह के अन्तराल में सम्पन्न की जा सकेगी, जिसमें उस अवधि तक पंजीयन पोर्टल में अपलोड दस्तावेजों पर विचार कर पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी. समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा. कला दलों/कलाकार/संस्थाओं को ईमेल/मैसेज द्वारा पंजीयन की जानकारी एवं विभागीय वेबसाईड www.cgculture.in/chinhariportal में दर्शायी जाएगी.

7. **ग्रेड एवं मानदेय श्रेणी.—**

(1) दल प्रमुख एवं सहायक कलाकार का ग्रेड/मानदेय की दरें निम्नानुसार होंगी :—

ग्रेड	दल प्रमुख का विवरण	दल प्रमुख का मानदेय	सहायक कलाकार का मानदेय
ए+++	पद्मविभूषण/पद्मभूषण कलाकार	71000/-	5000/-
ए++	पद्मश्री कलाकार	51000/-	4000/-
ए+	राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) 10 वर्षों से अधिक व विगत 5 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति तथा प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम राज्य से बाहर किया हो.	41000/-	3000/-
ए	राष्ट्रीय स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) 10 वर्षों से कम व विगत 3 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति तथा प्रतिवर्ष कम से कम 3 कार्यक्रम राज्य से बाहर किया हो.	31000/-	2000/-
बी+	राज्य स्तरीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) समूह/मंडली/ संस्था 3 वर्षों से अधिक.	21000/-	1500/-
बी	स्थानीय कलाकार (पंजीयन/अनुभव) समूह/मंडली/ संस्था.	11000/-	1000/-

(2) **अपग्रेड-डिग्रेड.**— अनुशंसित जनप्रतिनिधियों/आयोजक समिति द्वारा कार्यक्रम प्रतिवेदन में उल्लेखित फीडबैक का समिति द्वारा परीक्षण/अवलोकन पश्चात् कलाकारों के ग्रेड में पुनरीक्षण किया जावेगा.

(3) कलाकारों के ग्रेड अनुसार निर्धारित मानदेय का समिति द्वारा प्रति 3 वर्ष में अथवा ऐसे अन्तरालों में जैसा कि समिति द्वारा उचित समझा जाए पुनरीक्षण किया जा सकेगा. इसी प्रकार कलाकारों के ग्रेडों में भी उनके प्रदर्शनों के आधार पर पुनरीक्षित ग्रेड दिये जा सकेंगे.

(4) राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त कलाकारों को राज्य में आयोजित समारोहों में प्रदर्शन हेतु, विभाग के साथ अनुबंध (इम्पैनल्ड) एजेन्सी, प्रबंधकों से चर्चा/प्रस्ताव पर संचालक द्वारा निर्धारित दर के आधार पर विभाग में अनुबंध (इम्पैनल्ड), एजेन्सी, प्रबंधकों के माध्यम से देय होगा.

(5) विधावार निर्धारित प्रत्येक दल में सहायक कलाकार की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी :—

क्रमांक	विधाओं का विवरण	दल में सहायक कलाकार अधिकतम संख्या
1.	लोक गाथा, गायन, गीत, गजल, भजन, पंडवानी, भरथरी, चंदैनी, नृत्यनाटिका, वादन, क्लासिकल डांस एवं अन्य.	08
2.	छत्तीसगढ़ी पारंपरिक नृत्य (करमा, सुआ, पंथी, राउत नाचा एवं अन्य) एवं समूह नृत्य क्लासिकल.	12
3.	लोकमंच/नाट्य मंचन (ड्रामा)	24

8. **कार्यक्रम प्रस्तुति के अवसर.—**

(1) नियम 7(1) के अन्तर्गत निर्धारित ग्रेड अनुसार प्रत्येक दल को वित्तीय वर्ष में प्रस्तुति हेतु अवसर की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होंगी.—

क्रमांक	ग्रेड	वित्तीय वर्ष में अवसर की अधिकतम सीमा
1.	ए +++	08
2.	ए ++, ए +, ए	10
3.	बी +, बी	12

(2) राज्य के किसी विभाग अथवा किसी संस्था/जनप्रतिनिधियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु विभाग से कलाकार दल की मांग अनुसार संबंधित कलाकार/दल से निर्धारित तिथि/स्थान में प्रस्तुति हेतु सहमति पत्र एवं कार्यक्रम प्रस्तुति हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के आधार पर कलाकार दलों को अवसर प्रदान किया जायेगा, इस संबंध में सुनिश्चित किया जायेगा कि विभाग की प्रोत्साहन/उद्देश्य के अनुरूप सभी कला दलों/कलाकारों को समान रूप से प्रदर्शन का मौका प्राप्त हो सके.

(3) तथापि विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में अथवा ऐसे आयोजनों में जो विभाग द्वारा अतिविशिष्ट स्तर के माने गये हों, ऐसे उत्कृष्ट स्तर के कार्यक्रम में प्रस्तुति हेतु कलाकार दलों के चयन में नियम 8(1) के उपबंधों से आयुक्त/संचालक के विवेक पर मुक्त रखा जा सकेगा.

(4) राज्य स्तरीय ग्रेडेशन समिति/विभागीय समिति का निर्णय अंतिम होगा.

9. **नियमों में संशोधन.—** यदि नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा.

10. **व्याख्या.—** इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा.